UPSI010039072026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0), सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–739/2026

CIS No.1734/2026

शिवा निगम पुत्र राजेन्द्र कुमार निगम निवासी मो0 तुलसीनगर थाना सिधौली जिला सीतापुर।

...................अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य

................अभियोगी/विपक्षी

मु0अ0सं0–276/2020
सत्र परीक्षण सं0–1041/2020
अन्तर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0
थाना सिधौली जिला सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0–276/2020, सत्र परीक्षण सं0–1041/2020, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0दं0सं0 थाना सिधौली जिला सीतापुर से सम्बन्धित अभियुक्त शिवा निगम की ओर से प्रस्तुत किए गए तृतीय जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता राजेन्द्र कुमार निगम द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, परन्तु पेशी पर अनुपस्थित हो गया इसलिए उसके विरूद्ध वारण्ट जारी हो गया। अभियुक्त बीमार होने के कारण तारीख पेशी पर अनुपस्थित हो गया था। उसने जानबूझ कर पेशी पर अनुपस्थित नहीं की है। अभियुक्त दिनांक 31–05–2026 से उक्त वाद में जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद बराबर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित आता रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

Digitally signed by Dinesh Kumar Nagar
Date: 2026.06.18 15:46:36 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court Sitapur

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2021 को इस न्यायालय से स्वीकार किया गया था और वह जमानत पर रिहा हुआ था। अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित न आने पर उसके विरूद्ध दिनांक 13–06–2024 को न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट पर दिनांक 31–05–2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है। तब से अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगा तथा न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिवा निगम की ओर से मु0अ0सं0–276/2020, सत्र परीक्षण सं0–1041/2020, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0दं0सं0 थाना सिधौली जिला सीतापुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अनुसार उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1–अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2–अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमें के परीक्षण में सहयोग करेगा।

3–जब तक कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक–18.06.2026

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर
JO CODE UP2760